विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, दुर्ग
दुर्ग क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर नाका दुर्ग–491001

Letter No. 152 dt. 29/05/2026

प्रकरण क्रमांक CGRF/DURG/2026/41
दिनांक 28.04.2026

आयुक्त, नगर निगम दुर्ग
बी.पी. नं. 1001995406
मो. नं. 8208396855

आवेदक

विरूद्ध

1. कार्यपालन अभियंता (नगर) संभाग,
   छ.स्टे. पॉ. डि. कं. लिमिटेड, दुर्ग
2. सहायक अभियंता, बोरसी जोन,
   छ.स्टे. पॉ. डि. कं. लिमिटेड, दुर्ग

अनावेदकगण

विषय : नगर निगम दुर्ग के सड़क बत्ती हेतु स्थापित विद्युत कनेक्शन के मीटर रीडिंग एवं बिलिंग में अनियमितता के संबंध में।

आदेश

(आज दिनांक 29.05.2026 को पारित किया गया)

शिकायत का संक्षिप्त विवरण

आवेदक द्वारा प्रस्तुत शिकायत में यह अभ्यावेदन किया गया कि बोरसी जोन के अंतर्गत बी.पी. नं. 1001995406 जोकि नगर निगम दुर्ग के के सड़क बत्ती से संबंधित हैमार्च 2023 से जनवरी 2024 तक उक्त विद्युत कनेक्शन की बिलिंग मीटर गुणांक 3 के आधार पर की गई, जबकि वास्तविक मीटर गुणांक 1 था। अतः सही मीटर गुणांक के अनुसार बिलों का संशोधन किए जाने हेतु अनुरोध किया गया है। इसके अतिरिक्त मीटर किराया भी गलत रूप से लगाया गया है। साथ ही, यदि बिलिंग में कोई अन्य विसंगति पाई जाए तो उसका भी नियमानुसार निराकरण किया जाए।

उक्त प्रकरण को फोरम द्वारा प्रकरण क्रमांक 41 दिनांक 5/5/2026 के तहत दर्ज करते हुए सुनवाई आरंभ की गई।

प्रकरण पर कार्यवाही का विवरण

1. दिनांक 08.05.2026 को प्रकरण की प्रथम सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान आवेदक पक्ष से श्री मोहित मरकाम, सब इंजीनियर, नगर निगम दुर्ग उपस्थित हुए। अनावेदक पक्ष से श्रीमती सीमा बघेल सहायक अभियंता, बोरसी जोन उपस्थित हुईं। कार्यपालन अभियंता अनुपस्थित रहे।

2.आवेदक द्वारा प्रस्तुत कथन के अनुसार बोरसी जोन अंतर्गत नगर निगम दुर्ग के सड़क बत्ती हेतु प्रदाय विद्युत कनेक्शन बी.पी. नं. 1001995406 में मार्च 2023 से जनवरी 2024 तक बिलिंग मीटर गुणांक 3 के आधार पर की गई, जबकि वास्तविक मीटर गुणांक 1 था। अतः सही मीटर गुणांक के अनुसार विद्युत देयकों में संशोधन किए जाने एवं गलत रूप से लगाए गए मीटर किराया को सुधारने का अनुरोध किया गया।

फोरम द्वारा सहायक अभियंता को निर्देशित किया गया कि प्रकरण से संबंधित संपूर्ण जानकारी, पिछले वर्षों के बिलिंग गणना पत्रक एवं मीटर रीडिंग डायरी प्रस्तुत की जाए।

3. दिनांक 27.05.2026 को हुई सुनवाई में सहायक अभियंता द्वारा आवश्यक दस्तावेज एवं बिलिंग गणना पत्रक प्रस्तुत किया गया।

4. सुनवाई के दौरान सहायक अभियंता द्वारा प्रस्तुत कथन के अनुसार बोरसी जोन के अधिनस्त उपभोक्ता नगर पालिका निगम, सडक बत्ती पोटिया, दुर्ग के नाम से स्थाई विद्युत कनेक्शन उपभोक्ता क्रमांक 1001995406 अनुबंधित भार 41000 वॉट है।

5.उपभोक्ता के कनेक्शन के बिलिंग के दौरान जारी गलत मीटर किराया को सुधार कर लिया गया । उक्त संबंध में इस कार्यालय के पत्र कं. 1713 दिनांक 2026 के माध्यम से मीटर किराया में सुधार कर राशि 181753.41 (-) का क्रेडिट विद्युत देयक में दिया गया हैं।

6.उक्त विद्युत कनेक्शन वर्ष 2013 में प्रदाय किया गया हैं जिसमें पूर्व में थ्री फेस मीटर उपलब्ध न होने के कारण अनावेदक कंपनी के दिशा निर्देशों के अनुसार सिंगल फेस विद्युत मीटर लगाया गया था एवं खपत का निर्धारण सिंगल फेस मीटर में हुए खपत को तीन गुना कर खपत का निर्धारण किया जाता रहा। नवम्बर 2020 में सिंगल फेस मीटर को बदलकर नवीन थ्री फेस मीटर परिसर में लगाया गया लेकिन उक्त कनेक्शन में खपत का निर्धारण पूर्व की भांति सिंगल फेस मीटर के अनुसार ही होता रहा अर्थात थ्री फेस मीटर लगने के पश्चात भी मीटर के खपत को तीन गुना किया जाता रहा जिसके कारण उक्त कनेक्शन में मीटर के वास्तविक खपत से 3 गुना ज्यादा की बिलिंग होती रही।

<u>फोरम द्वारा प्रकरण में परीक्षण एवं विश्लेषण</u>

प्रकरण में दोनों पक्षों को सुनने तथा अभिलेखों के परीक्षण उपरांत यह तथ्य स्थापित हुआ कि संबंधित विद्युत कनेक्शन वर्ष 2013 में प्रदाय किया गया था। उस समय थ्री फेस मीटर उपलब्ध नहीं होने के कारण सिंगल फेस मीटर स्थापित किया गया था तथा अनावेदक कंपनी के प्रचलित दिशा निर्देशानुसार मीटर रीडिंग को तीन गुणा कर खपत निर्धारित की जाती थी।

अभिलेखों से यह भी स्पष्ट हुआ कि नवंबर 2020 में उक्त परिसर में सिंगल फेस मीटर के स्थान पर थ्री फेस मीटर स्थापित कर दिया गया था, किंतु बिलिंग प्रणाली में आवश्यक संशोधन नहीं किए जाने के कारण पूर्ववत मीटर रीडिंग को तीन गुणा कर खपत निर्धारित की जाती रही। फलस्वरूप उपभोक्ता को वास्तविक खपत से अधिक राशि के विद्युत देयक जारी होते रहे।

सुनवाई के दौरान अनावेदक पक्ष द्वारा यह भी स्वीकार किया गया कि मीटर किराया भी त्रुटिपूर्ण रूप से आरोपित किया गया था, जिसे सुधारते हुए राशि रु. 1,81,753.41 का क्रेडिट उपभोक्ता के विद्युत देयक में प्रदान किया जा चुका है।

फोरम के समक्ष उपलब्ध अभिलेखों, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं दोनों पक्षों के कथनों के आधार पर यह स्पष्ट है कि बिलिंग में त्रुटि अनावेदक वितरण कंपनी की ओर

से हुई है। अतः उपभोक्ता को वास्तविक खपत के अनुसार संशोधित बिल प्राप्त करने का अधिकार है।

आदेश

अतः फोरम निम्नानुसार आदेश पारित करता है :-

1.अनावेदकगण उपभोक्ता बी.पी. नं. 1001995406 के विद्युत देयकों का नवंबर 2020 से अप्रैल 2026 की अवधि हेतु सही मीटर गुणांक के आधार पर पुनर्गणना कर संशोधित विद्युत देयक जारी करें।

2. उपरोक्त मदों में की गई अतिरिक्त राशि की बिलिंग को संशोधित विद्युत देयकों में समायोजित किया जाए।

3.मीटर किराया संबंधी त्रुटि में प्रदान किया गया क्रेडिट यथावत मान्य रहेगा।

4.यदि उक्त कनेक्शन में बिलिंग संबंधी कोई अन्य विसंगति पाई जाती है तो उसका परीक्षण कर नियमानुसार निराकरण किया जाए।

5.समस्त कार्यवाही एवं संशोधित बिल जारी करने की प्रक्रिया आदेश की प्रति प्राप्ति से 30 दिवस के भीतर पूर्ण की जाए तथा अनुपालन प्रतिवेदन फोरम के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।

6. उपरोक्त आदेश फोरम द्वारा विधिवत पारित किया जाता है।

7. प्रकरण फोरम के समक्ष प्रस्तुत तथ्यों एवं प्रतिवेदनों के आधार पर निराकृत।

8. यदि शिकायतकर्ता/आवेदक फोरम द्वारा पारित उक्त आदेष से असंतुष्ट हो तो माननीय विद्युत लोकपाल रायपुर के समक्ष इस आदेश की प्राप्ति की तिथि से 45 दिनों के भीतर अपील दायर कर सकता है।

(ममता कश्यप)
सदस्य
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम दुर्ग

(पी.व्ही. सजीव)
अध्यक्ष
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम दुर्ग